अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड शासन सचिववालय जयपुर दुरभाष 0141–2227275,ईमेल – seprd123@gmail.com

क्रमांक एफ.4(223) पराविं/पीसी/आंगनबाडी/2016/ 1298 जयपुर,दिनांक 24.5.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय :–आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ कराने बाबत्।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक 214 दि0 28.1.2016, 234 दि0 29.1.2016, 413 दि0 18.2.2016 एवं 1134 दि0 11.5.2016,

महोदय,

दिनांक 17.5.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आंगनबाडी भवन निर्माण के लिए आवश्यक पट्टा जारी करने का कार्य ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा समय पर पट्टा जारी नहीं करने के कारण निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ नहीं हो पाते हैं, कार्य की लागत में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप कार्य काफी समय तक अपूर्ण पडे रहते हैं।

भूमि विवाद या पट्टे के अभाव में किसी स्थान पर आंगनबाडी का कार्य संपादित करना संभव नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थान पर निर्माण करने के क्रम में महिला एवं बाल विकास के परिपत्र क्रमांक 14464 दिनांक 12.2.2016 के द्वारा यह स्पष्ट किया हुआ है कि संबंधित **परिक्षेत्र** में आंगनबाडी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जाये। परिक्षेत्र के अनुसार प्रथम प्राथमिकता उसी ग्राम में, ग्राम में स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के किसी अन्य ग्राम में एंव ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम में आंगनबाडी भवन का निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायत समिति क्षेत्राधिकार की अन्य ग्राम पंचायत में आंगनबाडी भवन निर्माण कराया जा सकता है। इस बाबत उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा भी आपको निर्देशित किया हुआ है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि भूमि विवाद के कारण अथवा जगह का पट्टा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावे । निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ नहीं होने अथवा कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी का होगा।

भवदीय,

23.5.2016
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
2. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना
5. निदेशक, महिला एवं बाल विकास
6. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
8. ए.सी.पी., पंचायती राज को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

E:\PA To SE\Letter.doc